

नई दिल्ली। दिल्ली के राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में भीषण आग लग गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा हस्तगत में आई। आग पर काबू पाने के लिए तत्काल छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मी आग बुझाने के प्रयासों में लगातार जुटे हुए हैं। आग लगने का सही कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। यह आग राजघाट बस डिपो के बिल्कुल करीब स्थित सुखी झाड़ियों वाले क्षेत्र में लगी है। आग के कारण आसपास के इलाके में घना धुआं फैल गया है।

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail: saksham.bharat@hotmail.com

Member: CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 163 ● नई दिल्ली ● सोमवार 13 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन
के सदस्य बनें

E-mail:

rmsdp@hotmail.com

अनाधिकारिक गीता भारती भवन

बॉ-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी, 47.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 3 शांति गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को झंझा देकर लाखों रुपये ठग रहा था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति से करीब 47.20 लाख की ठगी की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लोगों को शेयर मार्केट, अहंपीओ और इक्विटी में निवेश के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच देते थे। इसके लिए वे फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। एक पीड़ित भी इसी झंझा में आ गया और धीरे-धीरे बड़ी रकम निवेश कर बैठा, जो बाद में ठगी निकली। जांच में पता चला कि ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों के जरिए घुमाई जाती थी। ऑरेंज हब्स प्रवेट लिमिटेड नाम के एक खाते में ही 3 लाख ट्रांसफर किए गए थे। यह खाता 12 अलग-अलग साइबर ठगी मामलों से जुड़ा हुआ निकला, जिससे साफ हो गया कि इसका इस्तेमाल ठगी के पैसे को आगे भेजने के लिए किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक, विशाल चौहान जींद का रहने वाला है। इसने अपना बैंक खाता, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज कमीशन पर गिरोह को दिए थे। इसके बदले इसे 50 हजार मिले थे। ऋषिक यादव यह मिडिलमैन था। जो बैंक क्रेडिट और सिम कार्ड लेकर अन्य आरोपियों तक पहुंचाता था। इसे जयपुर से पकड़ा गया। प्रियाल प्रताप यादव मैनपुरी का रहने वाला जिसे दिल्ली के किम्सवे कैम्प से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हैं। यह गिरोह लोगों और कंपनियों के बैंक खाते 25 न से 40 न कमीशन पर लेकर ठगी के पैसे को धूर-उधर ट्रांसफर करता था, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। फिलहाल दो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और तीसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने ईवी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट किया सार्वजनिक, कहा- दिल्लीवासी बनें इस प्रक्रिया का हिस्सा

नई दिल्ली।

दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति का मकसद साफ, सस्ता और टिकाऊ परिवहन सिस्टम तैयार करना है। इसके लिए सरकार ने करीब ₹3,954 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। फिलहाल ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर 30 दिनों के भीतर आम लोगों और विशेषज्ञों से इस ईमेल के माध्यम से evpolicy2026@gmail.com पर या डाक द्वारा संयुक्त आयुक्त ईवी, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली 110054 के पते पर भेजे सकते हैं। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। दोपहिया वाहनों पर पहले साल अधिकतम 30,000 तक का सब्सिडी मिलेगी, जो अगले वर्षों में धीरे-धीरे कम होगी। इसी तरह,



तीन-पहिया और मालवाहक चार-पहिया वाहनों के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में आर्थिक सहायता तय की गई है।

पुराने वाहनों को हटाने पर मिलेगा बोनस

प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रीपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोपहिया, तीन-पहिया और कारों पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया

आंशिक राहत मिलेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को तेजी से विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को मुख्य एजेंसी बनाया जाएगा, जो पूरे शहर में सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करेगी।

ध्विष्य के लिए सख्त नियम नीति में आगे के वर्षों के लिए बड़े फैसले भी शामिल हैं। 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। इसके साथ ही स्कूल बसों और सरकारी वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों को बेहतर, किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प मिलेंगे।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को नोटिस, समय पर ऑफिस नहीं आए तो होगा एक्शन, हर महीने बनेगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कर्मचारियों की उपस्थिति और समय पालन को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें ऑफिस टाइम और हाजिरी के नियमों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। हालांकि, इस नोटिस को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये नियम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी लागू होंगे या सिर्फ यूनिवर्सिटी के अन्य कर्मचारियों पर, जिसको लेकर फिलहाल स्पष्टीकरण मांगा गया है।



अनिवार्य होगा।

इस समय सीमा में आधे घंटे का लंच ब्रेक शामिल रहेगा।

देर से यूनिवर्सिटी आने पर कार्टी जाएगी छुट्टी

यूनिवर्सिटी ने देर से आने को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए हैं। यदि कोई कर्मचारी सुबह 9:10 बजे तक पहुंच जाता है, तो उसे समय पर ही माना

जाएगा, वहीं, अगर कोई 9:10 बजे के बाद, यानी 9:30 बजे तक आता है, तो उसे शाम को उतने समय तक अतिरिक्त काम करना होगा। लेकिन यदि कोई कर्मचारी 9:30 बजे के भी बाद ऑफिस पहुंचता है, तो उसकी आधे दिन या पूरे दिन की छुट्टी कार्टी जा सकती है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का

उद्देश्य कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाना और संस्थान में अनुशासन बनाए रखना है, ताकि सभी विभाग सुचारु रूप से काम कर सकें।

नियम पालन ना करने पर लिया जाएगा सख्त एक्शन

सरकार ने यह साफ आदेश दिया है कि अब कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी टाइम को लेकर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जो भी कर्मचारी देर से आता है या जल्दी चले जाकर हाजिरी नहीं लगाता, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

वहीं अब से हर महीने की एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि कौन अधिकारी नियमों का पालन करके समय पर ऑफिस आता है और कौन नहीं। जिससे हर अधिकारी की टाइमिंग पर नजर रखी जा सकेगी।

पेचकस, चाकू और पत्थर मारकर से ली बॉडी-बिल्डर युवक की जान, आरोप में नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवक की पेचकस, चाकू और पत्थर से वारक हत्या कर दी गई। शिनाख्त मोहम्मद शमीम उर्फ सुई (21) के रूप में हुई है। हत्या की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए। हत्या का केस कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। जांच में सीसीटीवी फुटेज व लोकल इंटील्लिजेंस की मदद से नाबालिग समेत तीन आरोपियों को हत्या के आरोप में दबोचा गया। पहचान वसोम उर्फ मिया (20), तिलक राज उर्फ राज (23) और 17 साल के नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि शमीम इन तीनों लड़कों को धमकाता था। दरअसल शमीम इन तीनों के मुकाबले काफी हट्टा-कट्टा व बॉडी-बिल्डर था। परेशान होकर आरोपियों ने शुक्रवार को उसकी झील पार्क में बुलाकर बेरहमी से हत्या कर दी। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि मोहम्मद शमीम अपने परिवार के साथ लकड़ी मार्केट, वेलकम इलाके में रहता था। इसके परिवार में पिता अबुलेश व अन्य सदस्य हैं। शमीम एरिया में एक जींस फैक्टरी में काम करता था। पकड़े गए तीनों आरोपी भी इसके साथ ही काम करते हैं। शुक्रवार शाम करीब 6.45 बजे लोगों ने खून से लथपथ शमीम का शव मजार के पास, झील में पड़ा देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज व लोगों से पूछताछ करने के बाद आरोपियों की पहचान हुई। बाद में देर रात उनको दबोच लिया गया।

महिला आरक्षण बिल- चुनाव के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर जयराम रमेश बोले- ये आचार संहिता का उल्लंघन

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने नारी शक्ति बंदन अधिनियम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। जयराम रमेश ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पत्र को शेयर

किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद के विशेष सत्र पर अपनी बात रखी है। यह सत्र अगले हफ्ते, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान के बीच बुलाया जा रहा है, जो कि आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने (खरगे ने) विपक्ष के इस अनुरोध को दोहराया है कि सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के



बाद ही किसी भी समय बुलाई जाए। दरअसल, महिला आरक्षण

(संशोधन) विधेयक पर विचार-विमर्श करने और उसे पारित करने के लिए अगले सप्ताह एक विशेष सत्र बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में सभी पार्टियों के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति बंदन अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित कराने के लिए समर्थन मांगा, ताकि 2029 के चुनावों से पहले महिला आरक्षण का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधानमंत्री के पत्र के जवाब में, मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह महिला सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक लाभ उठाने के लिए महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक के कार्यान्वयन में जल्दबाजी कर रही है। अपने जवाब में खरगे ने लिखा, विशेष सत्र विपक्ष को विश्वास में लिए बिना बुलाया गया है और सरकार परिसीमन के संबंध में कोई भी विवरण साझा किए बिना ही

एक बार फिर विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि अगर इस विशेष सत्र का उद्देश्य हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है, तो सरकार को सुझाव है कि 29 अप्रैल के बाद किसी भी समय एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, ताकि परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा की जा सके, जिस मुद्दे को नारी शक्ति बंदन अधिनियम में किए जा रहे संशोधन से जोड़ा जा रहा है।

करोड़ों मतदाता 'कम' हुए

स्टेशनों की दयनीय स्थिति

भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक जिन राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया है उनमें कुल पांच करोड़ 58 लाख मतदाता अवैध पाये गये हैं। इनमें सर्वाधिक दो करोड़ पांच लाख मतदाता उत्तर प्रदेश के हैं। हालांकि प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज्यादा 13.40 प्रतिशत मतदाता गुजरात राज्य के कम हुए हैं। मगर इस प्रदेश की आबादी उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है इस वजह से मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं का प्रतिशत 13.23 है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह गहन पुनरीक्षण दो चरणों में पूरा किया है क्योंकि बिहार राज्य में पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनावों से पूर्व ही पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया था। इस प्रकार कुल दस राज्यों व तीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण का काम किया। इनमें उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को देखते हुए दूसरे चरण का काम सबसे बाद में 10 अप्रैल तक पूरा हो सका। सवाल यह है कि एक तरफ जब देश की आबादी लगातार बढ़ रही है तो दूसरी ओर मतदाताओं की संख्या कम क्यों हो रही है? इसका ताकिक उतर चुनाव आयोग यह दे रहा है कि पिछला विशेष पुनरीक्षण का कार्य 20 साल पहले हुआ था और इस बीच भारत की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में खासा अन्तर आया है। भारी संख्या में लोगों का गांवों से शहरों की तरफ पलायन हुआ है। लोग रोजी-रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ जाते रहते हैं मगर उनके मतदाता कार्ड पुराने पते पर ही बने रहते हैं। साथ ही लोगों की मृत्यु होने के बावजूद उनके नाम मतदाता सूचियों में बने रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग पुराने स्थान के मतदाता बने रहते हुए भी अपने नये स्थानों पर भी मतदाता बन जाते हैं। पुनरीक्षण में आयोग ने ऐसी सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया है। मगर मतदाताओं के घटने का एक कारण और भी माना जा रहा है कि

दलगत राजनीतिक प्रणाली का नियमन करता है और संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनावों को कराता है। अतः इसकी निष्पक्षता सभी राजनीतिक दलों के नजर में हर हालत में शक से ऊपर रहनी चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि इसमें कमी आयी है क्योंकि पिछले दिनों देश के विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के विचारार्थ रखा गये थे। ये प्रस्ताव हालांकि अस्वीकृत हो गये हैं मगर विपक्षी दल इसे जल्दी ही सर्वोच्च न्यायालय ले जाने की कोशिश में जुट गये हैं। खैर यह कानूनी पेचीदगियों का मसला है मगर जहाँ तक आम मतदाता का सवाल है तो उसके मन में यह शंका जरूर उभरी है कि कहीं उसके मत देने के अधिकार को तो चुनाव आयोग खतरे में नहीं डाल रहा है। बिना हिचक कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वह केवल सूची का कड़ा शुद्धिकरण कर रहा है जिसका संविधान उसे अधिकार देता है। संविधान कहता है कि केवल भारत का नागरिक ही मतदाता बन सकता है अतः इस बारे में आयोग यदि तसदीक करता है तो उस पर आपत्ति करना सूची को अशुद्ध बनाये रखने जैसा ही माना जायेगा। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जिन दस राज्यों व तीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में पुनरीक्षण का काम हुआ है उनमें प. बंगाल का मामला पूरी तरह अलग है। इस मामले में हमें रोज नया विवाद भी सुनने को मिलता रहता है जो कि भारत के लोकतन्त्र के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि लोकतन्त्र का असली मालिक मतदाता ही होता है। चुनावों के मामले में संविधान उसे स्वयंभू बनाता है और उसके द्वारा दिये गये मत को पूर्णतः गुप्त रखता है। इसके समानांतर भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतन्त्र व निष्पक्ष संस्था के रूप में संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खुद को पूरी तरह 'अराजनीतिक' रखते हुए देश को

दलगत राजनीतिक प्रणाली का नियमन करता है और संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनावों को कराता है। अतः इसकी निष्पक्षता सभी राजनीतिक दलों के नजर में हर हालत में शक से ऊपर रहनी चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि इसमें कमी आयी है क्योंकि पिछले दिनों देश के विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के विचारार्थ रखा गये थे। ये प्रस्ताव हालांकि अस्वीकृत हो गये हैं मगर विपक्षी दल इसे जल्दी ही सर्वोच्च न्यायालय ले जाने की कोशिश में जुट गये हैं। खैर यह कानूनी पेचीदगियों का मसला है मगर जहाँ तक आम मतदाता का सवाल है तो उसके मन में यह शंका जरूर उभरी है कि कहीं उसके मत देने के अधिकार को तो चुनाव आयोग खतरे में नहीं डाल रहा है। बिना हिचक कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वह केवल सूची का कड़ा शुद्धिकरण कर रहा है जिसका संविधान उसे अधिकार देता है। संविधान कहता है कि केवल भारत का नागरिक ही मतदाता बन सकता है अतः इस बारे में आयोग यदि तसदीक करता है तो उस पर आपत्ति करना सूची को अशुद्ध बनाये रखने जैसा ही माना जायेगा। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जिन दस राज्यों व तीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में पुनरीक्षण का काम हुआ है उनमें कुल 10.55 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं। बेशक इनमें से बहुतायत दोहरी मतदाता सूची वाले या एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करने वाले ही रहे होंगे मगर आयोग ने इन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण देने का समय भी तो प्रदान किया था। फिर भी चुनाव आयोग को यह देखना होगा कि एक भी जायज मतदाता छूटने न पाये क्योंकि लोकतन्त्र में एक वोट का महत्व भी कम नहीं होता। इस बारे में भी उदाहरण भरे पड़े हैं जबकि एक वोट से भी हर-जीत तय हो जाती है।

आज जब सरकार 'डिजिटल इंडिया' और 'मॉडर्न पुलिसिंग' का नारा लगाती है, तब भी देश के अधिकांश पुलिस स्टेशन उसी औपनिवेशिक युग की इमारतों में कैद हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी, जर्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर और पुरानी व्यवस्था न केवल पुलिस कर्मियों के काम को बाधित कर रही है, बल्कि आम जनता के लिए भी ये स्टेशन आतंक का प्रतीक बने हुए हैं। 2025 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, 83 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में कम से कम एक सी.सी.टी.वी. कैमरा जरूर लगा है लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पालन असंगत है। 78 प्रतिशत स्टेशनों में महिला हेल्पडेस्क बने हैं, फिर भी महिला पुलिसकर्मियों का राष्ट्रीय औसत मात्र 12 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेशनों की संख्या 2017-22 के बीच 7 प्रतिशत घट गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4 प्रतिशत बढ़ी। जनवरी 2023 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 17,849 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से 58 में वाहन नहीं, 680 में लैंडलाइन फोन नहीं और 282 में मोबाइल फोन तक नहीं हैं। कई स्टेशनों में बिजली, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। बी.पी.आर.डी. (ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट) ने आधुनिक पुलिस स्टेशन भवनों के लिए मानक तय किए हैं, जिनमें आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, जांच कक्ष और रिकॉर्ड रूम शामिल हैं लेकिन ज्यादातर राज्यों में इनका पालन नाममात्र का है। असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस (ए.एस.यू.एम.पी.) योजना के तहत केंद्र ने 2025-26 में 540 करोड़ रुपए आवंटित किए लेकिन इसमें भी उपयोगिता कम पाई गई। सवाल उठता है कि यह जर्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर पुलिस के कार्य को किस तरह बाधित कर रहा है? स्टेशन हल्टस ऑफिसर (एस.एच.ओ.) को 24 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है लेकिन ज्यादातर थानों में न तो आराम कक्ष ठीक है, न बैक स्वच्छ। मैनुअल पेपरवर्क, पुराने रिकॉर्ड और भीड़भाड़ के कारण जांच में देरी होती है। जनता शिकायत दर्ज कराने आती है तो प्रतीक्षा कक्ष न होने से खुले में खड़ी रहती है। महिला आगंतुकों के लिए अलग शौचालय की कमी आम है। परिणामस्वरूप, पुलिस पर भरोसा घटता है और अपराधी लाभ उठाते हैं। सबसे दर्दनाक स्थिति मालखाने (पुलिस रिकॉर्ड रूम) की है। यहाँ सबूत, हथियार, नशीले पदार्थ और संपत्ति रखी जाती है लेकिन ज्यादातर स्टेशनों में यह कमरा गंदा, भीड़भाड़ वाला और असुरक्षित होता है। मैनुअल रजिस्टर, चूल्हों-कीड़ों का आतंक और अपर्याप्त जगह के कारण सबूत बिगड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2024 में चूल्हों द्वारा सबूत नष्ट होने पर डी.जी.पी. को आदेश दिया था कि मालखाने की नियमित देखभाल हो। दिल्ली के कई स्टेशनों में एक मालखाना अधिकारी के पास हजारों एग्जिबिट्स होते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी से घंटों खोजबीन करनी पड़ती है। इससे सबूतों से छेड़छाड़, गुप्त होने या अदालत में अस्वीकार होने की घटनाएं आम हैं। कुछ राज्यों में ई-मालखाना शुरू हुआ है, जहाँ बारकोड और डिजिटल ट्रेकिंग से पारदर्शिता आई लेकिन यह पूरे देश में लागू नहीं हुआ। इसी तरह, जब वाहनों की समस्या पर्यावरणीय अपदा बन चुकी है।

परिसीमन पर मनमानी नहीं कर पाएगी सरकार?

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा कांग्रेस के निशाने पर रहे। चुनाव प्रचार बंद होने से दो दिन पहले कांग्रेस ने उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के तीन पासपोर्ट का बम फोड़ा और साथ ही अमेरिका के टैक्स हेवन राज्य वायोमिंग में 52 हजार करोड़ रुपए की कंपनी होने का दावा किया। कहा गया कि कंपनी में हिमंता और उनके बच्चे भी हिस्सेदार हैं। इसे लेकर बड़ा विवाद शुरू हुआ है और हिमंता बिस्व सरमा और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान किया। उनके घर पुलिस भी भेजी गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में यह बहुत दिलचस्प है कि हिमंता खुद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी लिंक का आरोप लगाते रहे हैं और अभी अचानक खामोश हो गए। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वे बड़े सबूत पेश करेंगे लेकिन अब मतदान खत्म होने तक उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया और न कोई सबूत पेश किया।

महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर पहले लग रहा था कि विपक्ष के सामने दुविधा है और विपक्षी पार्टियां इसमें उलझ जाएंगी। लेकिन अब धीरे-धीरे विपक्ष ने अपना रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। असल में दुविधा इस बात को लेकर थी कि अगर केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया जाता है तो विपक्षी पार्टियों को महिला आरक्षण का विरोधी बताया जाएगा। यह खतरा अब भी है लेकिन विपक्ष की ओर से अब यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी पार्टियां महिला आरक्षण के पक्ष में हैं लेकिन परिसीमन का समर्थन नहीं कर रही हैं। इसके लिए सिद्धांत रूप में पार्टियों का रुख तय किया जा रहा है और सर्वोच्च नेता इसे जाहिर कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया है। इसके लिए ही बजट सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया। इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन को नारी शक्ति वंदन कानून से अलग करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध नहीं करेगा लेकिन परिसीमन का विरोध करेगा। सरकार चाहती है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन का काम हो जाए और लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ कर 816 कर दी जाएं। इसमें से एक तिहाई यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएं। इसके लिए संविधान में संशोधन का विधेयक लाना होगा और विशेष बहुमत यानी दो तिहाई बहुमत से पास कराना होगा। विपक्ष के सहयोग के बगैर यह संभव नहीं लग रहा है। अरुणाचल के सीएम के इस्तीफे का सवाल जब से भाजपा की कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में आई है तब से उसने यह सिद्धांत अपना लिया है कि अपने नेताओं पर चाहे कितने भी संगीन आरोप लगे उनका इस्तीफा नहीं कराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार मीडिया के सामने कहा भी था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। इसीलिए भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने पर न तो उनसे इस्तीफा देने को कहा गया और न ही उन पर जांच बैठाई गई। इसलिए सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का इस्तीफा होगा या नहीं? उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया है, बल्कि उनकी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर

से पिछले 11 साल में यानी 2015 के बाद से दिए गए सभी ठेकों की जांच की जाए। आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ रुपये के ज्यादातर ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के लोगों को ही दिए हैं। पेमा खांडू 2016 से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कई ठेके तो उनकी पत्नी को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दो हफ्ते में प्रारंभिक जांच शुरू करने और चार महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। सवाल है कि जिसके खिलाफ आरोप है अगर वह मुख्यमंत्री बना रहता है तो क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सकेगी? खाड़ी संकट से केरल में कांग्रेस का नुकसान पश्चिम एशिया में 40 दिन तक चली जंग ने केरल में कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस नुकसान की वजह से चुनाव में कांग्रेस की हार तय हो गई है, लेकिन प्रचार समाप्त होने से पहले जो ओपिनियन पोल आए हैं उनमें अगर कोर्ट की टक्कर दिखाई गई है या कांग्रेस को बहुत आराम से चुनाव जीतते नहीं दिखाया गया है तो इसके कई कारणों में एक कारण पश्चिम एशिया में चली जंग भी है। इस जंग से कांग्रेस को बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि संकट के समय मतदाता मजबूत नेता की ओर देखते हैं, जो कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर सीपीएम की ओर से मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन का नेतृत्व स्पष्ट दिख रहा है। उन्हें बहुत मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है। वे 10 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह जाती है कि कोरोना महामारी के समय उनकी सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से प्रबंधन किया था। केरल सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में एक था, लेकिन केरल की सरकार ने ऑक्सिजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता के मामले में बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छा प्रबंधन किया। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से भी जो संकट खड़ा हुआ है उसमें केरल के लोग एक मजबूत नेता की तौर पर उनकी ओर देख रहे हैं। गौरतलब है कि केरल के लगभग 35 लाख लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। गौरव गोगोई पर खामोश रहे हिमंता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा कांग्रेस के निशाने पर रहे। चुनाव प्रचार बंद होने से दो दिन पहले कांग्रेस ने उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के तीन पासपोर्ट का बम फोड़ा और साथ ही अमेरिका के टैक्स हेवन राज्य वायोमिंग में 52 हजार करोड़ रुपए की कंपनी होने का दावा किया। कहा गया कि कंपनी में हिमंता और उनके बच्चे भी

हिस्सेदार हैं। इसे लेकर बड़ा विवाद शुरू हुआ है और हिमंता बिस्व सरमा और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान किया। उनके घर पुलिस भी भेजी गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में यह बहुत दिलचस्प है कि हिमंता खुद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी लिंक का आरोप लगाते रहे हैं और अभी अचानक खामोश हो गए। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वे बड़े सबूत पेश करेंगे लेकिन अब मतदान खत्म होने तक उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया और न कोई सबूत पेश किया। उल्टे इस मामले में वे खामोश हो गए। कहा जा रहा है कि यह भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि पार्टी को फीडबैक मिली थी कि गौरव गोगोई पर हमले का फायदा नहीं हो रहा था, उल्टे नुकसान की आशंका थी। असम में 10 फीसदी आबादी अहिंसा जाति की है, जिसके प्रतिनिधि गौरव गोगोई हैं। उसका वोट उनके पक्ष में गोलबंद हो रहा था। इसी वजह से हिमंता और उनके साथ-साथ भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी चुप्पी साध ली। सीओपी 33 की मेजबानी से क्यों हटा भारत? यह बड़ा सवाल है और कूटनीति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है कि आखिर भारत ने जलवायु परिवर्तन पर बने अंतरराष्ट्रीय समूह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी सीओपी 33वें सम्मेलन की मेजबानी से हटने का फैसला क्यों किया? यह सही है कि भारत ने आधिकारिक रूप से इसकी मेजबानी का दावा नहीं किया था लेकिन 2023 में दुबई सम्मेलन के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव दिया था कि भारत 2028 के सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है। लेकिन अब भारत ने मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है। सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? गौरतलब है कि भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत जलवायु परिवर्तन की एक अलग इकाई बना दी थी, जिसे 2028 के सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी करनी थी, लेकिन अब सरकार ने इससे अपने हाथ खींच लिए हैं। इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार भी जलवायु परिवर्तन को लेकर उसी रास्ते पर चल रही है, जिस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका चल रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद ऐसा लग रहा है कि भारत किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता है।

भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति के कार्यक्रम में राजू दुबे बने प्रांतीय उपाध्यक्ष, भगवंत यादव महासचिव व उमेश गिरी जिलाध्यक्ष मनोनीत



कुशीनगर। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संगठन भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ के गोखपुर में आयोजित छठे स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रांतीय व जिला स्तर पर पदाधिकारियों का मनो-नयन किया गया। इस अवसर पर कुशीनगर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश दुबे उर्फ राजू दुबे को प्रांतीय उपाध्यक्ष, भगवंत यादव को प्रांतीय महासचिव तथा पड़रौना के दैनिक जागरण के पत्रकार उमेश गिरी को कुशीनगर का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। यह मनो-नयन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार दिलावर सिंह की संस्तुति पर प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. सतीश चंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण कर संगठन विस्तार का निर्देश दिया गया है। इन मनो-नयनों पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति, केन्द्रीय मंत्री संतोष कुमार मिश्रा, बशीर खान, मार्कण्डेय मिश्रा, सुभाष यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता चतुर्भुज शुक्ला, छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष सरदार मनविंदर सिंह भाटिया, उत्तराखंड प्रभारी भरतसत्य सिंह, झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष भुजंग भूषण तिवारी, वेस्ट बंगाल प्रभारी कन्हैया लाल शर्मा, गोखपुर जिलाध्यक्ष आशीष कुमार मिश्रा, देवरिया जिलाध्यक्ष श्यामानंद पाण्डेय, देवीपाटन मंडल अध्यक्ष अविनाश कुमार श्रीवास्तव, गोवा प्रभारी जितेन्द्र तिवारी सहित देशभर के पदाधिकारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

जनसंपर्क में सांसद ने बताई सरकार की योजनाएं

पड़रौना/कुशीनगर।

भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर चल रहे जनसंपर्क अभियान के तहत कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने पड़रौना नगर मंडल के भीसवा (सरकारी) में घर-घर पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को अंगवस्त्र ओढ़कर सम्मानित किया तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के पत्रक वितरित किए। सांसद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार आमजन के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने उज्वला योजना, आयुष्मान भारत,



प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे गरीब, किसान, महिला और युवाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान सांसद ने ग्रामीणों

की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता

मार्कण्डेय शाही, जिला महामंत्री विवेकानन्द शुक्ला, जिला सह कार्यालय मंत्री धर्मेन्द्र राव, जिला मीडिया प्रभारी अमित राय, मंडल अध्यक्ष भुनेश्वर त्रिपाठी, मनोनीत सभासद धीरज पाठक, जगदीश मिश्रा, केशव उपाध्याय, आदर्श धर दुबे, आलोक चौबे, सांसद मीडिया प्रभारी निखिल उपाध्याय, सूर्याश राय, योगेश राय, देवेश मिश्रा, आनन्द मिश्रा, पवन राय, वरुण राय, विशाल गुप्ता, कन्हैया रमन राय, नवनीत त्रिपाठी, विशाल शुक्ला, चन्दन राय, नरेश गौड़, राजीव राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

हनुमानगंज पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद



कुशीनगर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना हनुमानगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

12 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 32/ 2026, धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया तथा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बिरन पुत्र पुनवासी चौहान, निवासी लक्ष्मीपुर पड़रहवा, थाना खड्ड, जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना हनुमानगंज पर मु0अ0सं0 32/2026, धारा

137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत है। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को सफल बनाने में प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय नारायण राय, उपनिरीक्षक विवेक तिवारी, उपनिरीक्षक शैलेश यादव, कांस्टेबल विकास यादव, कांस्टेबल इमरान खान, कांस्टेबल हरिराम यादव एवं महिला कांस्टेबल ज्योति तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

देवरिया की कमान अब आईपीएस अभिजीत आर. शंकर के हाथ, कार्यभार संभालते ही कानून-व्यवस्था पर कसी नकेल

देवरिया।

जनपद में कानून और व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा भेजे गए नवागत पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने रविवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। पुलिस कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके उपरान्त उन्होंने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मातहतों के साथ परिचयात्मक बैठक की। कार्यभार संभालते ही नए कप्तान ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और जन्मनुवादों को और अधिक प्रभावी बनाना है। 2018 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी अभिजीत आर. शंकर का अब तक का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। देवरिया आने से पूर्व वह जनपद अम्बेडकरनगर और औरैया में पुलिस अधीक्षक के रूप में सफल कप्तानों कर चुके हैं, साथ ही लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त जैसे



महत्वपूर्ण पद पर रहकर महानगर की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को संभालने का भी उन्हें गहरा अनुभव प्राप्त है। बैठक के दौरान उन्होंने जनपद के विभिन्न थानों की वर्तमान स्थिति, लंबित विवेचनाओं और अपराध के ग्राफ की गहन समीक्षा की। नए पुलिस अधीक्षक का आगमन ऐसे समय में हुआ है जब देवरिया पुलिस भ्रष्टाचार और हल ही में सामने आए ठगी के गंभीर मामलों को लेकर चर्चा में रही है। ऐसे में नवागत एसपी के

सामने न केवल पुलिस की छवि को साफ-सुथरा बनाने की चुनौती होगी, बल्कि जनता के बीच खाकी के इकबाल को दोबारा स्थापित करना भी प्राथमिकता रहेगी। परिचयात्मक बैठक में उन्होंने मातहतों को निर्देशित किया कि थानों पर आने वाले फरियादियों के साथ मर्यादित व्यवहार किया जाए और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो। प्रशासनिक गलियारों में अभिजीत आर. शंकर को एक गंभीर और कार्य

नवागत एसपी ने संभाली जनपद की बागडोर- पूर्व सैनिक ठगी और भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मामलों के बीच अधिकारियों के साथ की पहली बैठक अम्बेडकरनगर और लखनऊ कमिश्नरेट में सेवा दे चुके 2018 बैच के अफसर से जनपद को बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद

के प्रति समर्पित अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अब देखना यह है कि देवरिया जैसे संवेदनशील जिले में, जहाँ हल के दिनों में कई बड़े आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, वह अपनी नई रणनीति से जिले की पुलिसिंग को किस नई ऊँचाई पर ले जाते हैं। फिलहाल, जिले के पुलिस महकमे में नए कप्तान के आगमन के बाद हलचल बढ़ गई है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

मुसहरों को आवंटित पट्टों पर कब्जा दिलाने की मांग



पड़रौना/कुशीनगर। विशुनपुरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा विन्दवतिया की मुसहर बस्ती में रविवार को चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू पांडेय रहे, जबकि संचालन मंडल मंत्री मनोज कुमार गौड़ ने किया। चौपाल को संबोधित करते हुए पप्पू पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में मुसहर समाज का विकास शामिल है। वर्ष 2017 के बाद मुसहर बाहुल्य गांवों को चिन्हित कर पात्र लोगों को पट्टा आवंटित किया गया, लेकिन अब तक उन्हें जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका है और न ही पैमाइश कराई गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि सभी पट्टाधारकों को तत्काल जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुसहर बस्तियों में कम्युनिटी शौचालय, कांशीराम आवास की तर्ज पर कॉलोनी, विशेष विद्यालय और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि समाज का समग्र विकास हो सके।

कुरान ख्वानी एवं निशान के साथ उर्स का शुभारंभ

सद्दावना दिवस के रूप में पहले दिन उमड़ा जायरीनों का सैलाब, देर शाम सजी कच्वाली महफिल

भटनी देवरिया। दरबारे मौला अली भटनी में हजरत अलाउद्दीन शाह के पांच दिवसीय सालाना उर्स का शुभारंभ पहले दिन कुरान ख्वानी एवं निशान का इंडा लगाकर किया गया। उर्स का पहला दिन सद्दावना दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें क्षेत्र में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। इस अवसर पर दूर-दराज से पहुंचे सूफ़ी संतों एवं जायरीनों ने मजार पर हाजिरी लगाकर अमन-चैन व खुशहाली की दुआ मांगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिनभर दरगाह परिसर में उमड़ी रही। देर शाम उर्स के अवसर पर भव्य कच्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कच्वालोंने सुफ़ियाना कलाम पेश कर माहौल को भक्तिमय बना दिया और उपस्थित जायरीन झूम उठे। कार्यक्रम में सज्जादानशीन अमजद अली उर्फ तमन्ना, अफरोज खान छोट्टे, पूर्व सभासद नूर आलम खान, नसीम अहमद, सत्य नारायण, सलीम अंसारी, रामनाथ विद्रोही, अंश त्रिपाठी, समीर खान, अफताब खान एवं विशाल विश्वकर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।



सपा सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन विस्तार पर जोर



कुशीनगर।समाजवादी पार्टी कार्यालय सोहरौना, पड़रौना में रविवार को समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बासिंदर यादव ने की। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से जिले के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा तथा अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को संगठन से जोड़ जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में सपा जिलाध्यक्ष रामअवध यादव उपस्थित रहे। उन्होंने

अपने संबोधन में कहा कि अनुशासन, दृढ़ता, साहस, हौसला और आज्ञाकारिता जैसे गुण एक सैनिक की पहचान होते हैं। यदि पूर्व सैनिक इन गुणों के साथ समाज और संगठन में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से विकास संभव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। इस दौरान राजेन्द्र यादव उर्फ मुन्ना यादव व कैसर जमाल टिट्टू ने कहा कि सैनिक प्रकोष्ठ

मुख्य अतिथि के रूप में सपा जिलाध्यक्ष रामअवध यादव उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अनुशासन, दृढ़ता, साहस, हौसला और आज्ञाकारिता जैसे गुण एक सैनिक की पहचान होते हैं। यदि पूर्व सैनिक इन गुणों के साथ समाज और संगठन में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से विकास संभव है।

से जुड़ने से समाज और पार्टी में अनुशासन, धैर्य, सम्मान और शालीनता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण होगा। बैठक में ठाकुर यादव (अध्यक्ष, विधानसभा कुशीनगर), रुस्तम अंसारी (अध्यक्ष, विधानसभा पड़रौना), नयाज अहमद (कोषाध्यक्ष, सैनिक प्रकोष्ठ कुशीनगर), मुमताज अली, प्रमोद यादव, अमन गुप्ता, निजामुद्दीन अंसारी, हरिनारायण यादव, राजदेव सिंह, नंदलाल यादव एवं शंभू शरण यादव (महासचिव) सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

